मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 7:06 मिनट

अब हम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्यपद्धतियों जैसे पकड़ना, ज़मानत, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जाँच आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

आईए कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे का पकड़ने से शुरूआत करें।

ऐसा बच्चा जब पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे 24 घण्टे के अन्दर बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट या सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि बोर्ड की बैठकें न हो रही हों तो बच्चे को इनके आवास पर भी इनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे की ज़मानत

- एक बच्चा जो ज़मानती या गैर ज़मानती अपराध में आरोपित है और बोर्ड के समक्ष लाया गया है उसे सशर्त या बिना शर्त के ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा या पर्यवेक्षण गृह में परिवीक्षा अधिकारी के निरीक्षण में या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखा जाएगा।
- यदि ऐसे पर्याप्त कारण हों जिससे बोर्ड को यह विश्वास हो कि रिहा करने पर उस बच्चे का किसी शातिर मुजरिम से संबंध बन सकता है या व्यक्ति को नैतिक, या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है या बच्चे को रिहा करने से निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा तो बोर्ड को ज़मानत देने से इन्कार करने के कारणों तथा परिस्थितियों को दर्ज करते हुए बच्चे की ज़मानत मना कर सकता है।
- जब बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता तो बोर्ड एक आदेश पारित करेगा जिसके द्वारा पर्यवेक्षण गृह या सुरिक्षत स्थान पर उतने समय के लिए जितने समय तक जाँच की प्रक्रिया चलेगी, बच्चे को रखने का आदेश दिया गया हो।
- जब कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बच्चा, ज़मानत के आदेश के सात दिनों के अन्दर ज़मानत के आदेश की शर्तें पूरी नहीं कर पाता, ऐसे बच्चे को ज़मानत की शर्तों में बदलाव के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- जब कोई बच्चा ज़मानत पर रिहा किया जाएगा तो बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे क संबंध में बोर्ड द्वारा जाँच (धारा 14, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे के मामले में बोर्ड द्वारा इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत जाँच किया जाएग, और बच्चे के बारे में ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसे उपयुक्त लगेगा।
- बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के चार माह के अन्दर जाँच पूरी कर ली जानी है। जाँच की अवधि अधिकतम दो माह तक बोर्ड द्वारा और बढ़ाई जा सकती है।

छोटे–मोटे अपराधों में जाँच

- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छोटे–मोटे अपराधों का निर्णय संक्षिप्त कार्यवाही के अनुरूप किया जाएगा।
- बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह के अन्दर जाँच पूरी कर ली जाएगी। जाँच की अवधि अधिकतम दो माह तक बोर्ड द्वारा और बढ़ाई जा सकती है।
- यदि विस्तारित अवधि (अधिकतम दो महीने) के बाद भी जाँच अनिर्णायक है, तो कार्यवाही समाप्त समझी जाएगी।

गंभीर या जघन्य अपराधों में जाँच

- गंभीर अपराध की जाँच , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत समन मामले की सुनवाई की तरह की जाएगी।
- 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए जघन्य अपराध की जाँच का अंतिम फैसला बोर्ड द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, समन केस की सुनवाई द्वारा की जाएगी।
- यदि जघन्य अपराध के मामले में आरोपित बच्चा 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र का है, तो बोर्ड एक आरंभिक आंकलन कर यह समझने के लिए करेगा कि ऐसा अपराध करने की उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, अपराध के दुष्परिणामों को समझने की क्षमता कितनी है और वह स्थितियाँ क्या थीं जिसमें उसने ऐसा अपराध किया और उसके बाद निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है (धारा 18 उपधारा (3) किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप): यह कि इस बच्चे के मामले की सुनवाई वयस्क व्यक्ति के समान होगी और बोर्ड सुनवाई के लिए मामले को बाल न्यायालय (बिपसकतमदशे ब्वनतज) में जो ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है, में स्थानान्तरण का आदेश पारित कर सकता है। ऐसे आंकलन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। आरंभिक आंकलन सुनवाई नहीं है बल्कि वह बच्चे की क्षमता का आंकलन करने के लिए है कि ऐसे अपराध करने और उसके दुष्परिणामों को समझने की उसकी क्षमता कितनी है।
- जब बोर्ड आरंभिक जाँच द्वारा इस बात से संतुष्ट हो कि मामले पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तब बोर्ड द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार मामले में समन मामले की तरह (सुनवाई) करके निर्णय लिया जाएगा।

- जघन्य अपराध के मामले में बोर्ड द्वारा आरंभिक जाँच की प्रक्रिया बच्चे की बोर्ड के समक्ष पहली प्रस्तुति से तीन माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- गंभीर और जघन्य अपराध के मामले में यदि बोर्ड जाँच के लिए समय बढ़वाना चाहता है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप से कारण दर्ज करके उसकी मंजूरी दी जाएगी।